बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक–पि०व०/2/ब० एवं आ०–17–01/2022–

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत निदेशालय के संधारणार्थ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत संविदा सेवायें मद में भुगतान हेतु कुल राशि रू० 1,00,000/– (रू० एक लाख) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्यांण विभाग अंतर्गत निदेशालय के संधारणार्थ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत संविदा सेवायें मद में भुगतान हेतु कुल राशि रू० 1,00,000/– (रू० एक लाख) मात्र आवंटित की जाती है।

2–कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष 0002–पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण–निदेशालय, विपत्र कोड संख्या–11-2225-03-001-0002 के अंतर्गत विषय शीर्ष 28.02–संविदा सेवायें मद इकाई से विकलनीय होगा।

3– आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। निकासी की गई राशि का व्यय विभागीय पत्रांक–292, दिनांक–11.02.2021 में निहित निदेश का अनुपालन करते हुए करेंगे। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

4– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5– प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6– इसकी सूचना महालेखाकार, पटना को दिया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/2/ब० एवं आ०–17–01/2022– 12 पटना, दिनांक– 12/02/2026

प्रतिलिपि–(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/2/26

सरकार के अपर सचिव।

D/Kundan-2 Budget Section/allotment excel and budget fort /Sanction & Allotment